

सारीख सुनन	सुनवली नं० निर्णय दि०.....
27/10	पत्रावली पेश हुन। वकीली द्वारा कार्य सम्पन्न/र.ओ. या राज्य कार्य में व्यस्त/दोरे पर होने से, जनरल न्यायिक पेशी समाप्त की गई। पत्रावली निर्णय को पेश हो।
31/10	पत्रावली पेश हुन। वकीली द्वारा कार्य सम्पन्न/र.ओ. या राज्य कार्य में व्यस्त/दोरे पर होने से, जनरल न्यायिक पेशी समाप्त की गई। पत्रावली निर्णय को पेश हो।
13.9.20	पत्रावली पेश हुई। वकीली द्वारा कार्य सम्पन्न/र.ओ. या राज्य कार्य में व्यस्त/दोरे पर होने से, जनरल न्यायिक पेशी समाप्त की गई। पत्रावली निर्णय को पेश हो।
16/10/20	पत्रावली पेश हुई। वकीली द्वारा कार्य सम्पन्न/र.ओ. या राज्य कार्य में व्यस्त/दोरे पर होने से, जनरल न्यायिक पेशी समाप्त की गई। पत्रावली निर्णय को पेश हो।
10/11/20	पत्रावली पेश। वकील वादी उपर (वास्तविक अवस्था) दिनांक 23.11.20 को पेश हो।
23.11.20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि. 28.11.20 को पेश हो।
28.11.20	पत्रावली निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। वाद के तथ्यों व अवस्था स्टेट पर गौर किया गया। अवस्था स्टेट अनुसार ख.नं. 458 से लंबा हुआ ख.नं. 451 है अवधि वादी ख.नं. 458 को 433, 436, 438 व 469 से लंबा हुआ वर्णित करने को।

अतः रिपोर्ट अनुसार वाद वादी पोषणीय नहीं है।
 के कारण खारिज किया जाता है।
 निर्णय आज दि. 28.11.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
 28.11.20